रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED NO. D. (D.S.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 1983/भाद्र 23, 1905
No. 339] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT 14, 1983/BHADRA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1983

सा.का.नि. 702(अ).—केन्द्रीय सरकार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 15 सितम्बर, 1983 को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत दिन के रूप में नियत करती है ।

[सं. एस. 11014/4/78-एस. आर]

एच जी गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 1983

G.S.R. 702(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 (31 of 1979), the Central Government hereby appoints the 15th day of September 1983, as the appointed day for the purposes of that Act.

[No. S. 11014|4|78-SR]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983